रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 595] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 1995/आश्विन 28, 1917
No. 595] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 1995/ASVINA 28, 1917

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1995

का०आ० 850 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रीकरण समिति को पुनर्गठित करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 892(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में (i) क्रम सं० 1 और क्रम सं० 4 तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1.	श्री आई० एस० मल्ही, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण), कृषि मंत्रालय ।	अध्यक्ष
2.	डा० ए० के० रहेजा, सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	सदस्य

(ii) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. अध्यक्ष यह पद तब तक धारण करेगा जब तक वह कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण) का पद धारण करता है ।"

[फा० सं० 19-4/95(ii)-पी० पी० 1]
सुदर्शन कुमार मल्होत्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में सं० का०आ० 892(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना सं० का०आ० 876(अ), तारीख 16 नवम्बर, 1990 और सं० 693 (अ), तारीख 16 सितम्बर, 1992 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 1995

S.O. 850 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby reconstitutes with immediate effect, the Registration Committee and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) No. S.O. 892(E) dated the 31st October, 1989.

In the said notification—(i) for Sl. Nos. 1 and 4 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"1.	Shri I. S. Malhi, Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture.	Chairman
2.	Dr. A.K. Raheja, Assistant Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.	Member

(ii) for para 2 the following shall be substituted namely :—

"2. The Chairman shall hold office for so long as he holds the post of Joint Secretary (Plant Protection) in the Ministry of Agriculture."

[File No. 19-4/95 (ii)-PP. 1]
S. K. MALHOTRA, Jt. Secy.

Foot Note :—The Principal Notification was published in the Official Gazette vide No. S.O. 892 (E) dated the 31st October, 1989 and subsequently amended vide Notifications No. S.O. 876 (E) dated the 16th November, 1990 and No.693 (E) dated the 16th September, 1992.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi–110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi–110054 1995